-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 20.04.2026 को देर शाम थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम गिरवां से एक शातिर अभियुक्त को एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित पुत्र शिवकरन निवासी ग्राम गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 130/26 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 253/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 349/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 47/26 धारा 351(3)/352 बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवरतन गुप्ता
2. कां0 देवेन्द्र कुमार बिन्द